रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06022020-215984
CG-DL-E-06022020-215984

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 543] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 6, 2020/माघ 17, 1941
No. 543] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 2020/MAGHA 17, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 2020

का.आ. 582(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1361(अ), तारीख 18.06.2012 द्वारा कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–17 (नया रारा - 66) का 93.700 कि.मी. से 283.300 कि.मी. (गोवा/कर्नाटक बॉर्डर-खुंदापुर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण'कहा गया है) को सौंपा है;

और यत:, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में कर्नाटक राज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त खण्ड' संदर्भित किया गया है) में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 (नया रारा-66) के गोवा-कर्नाटक बॉर्डर से खुंदापुर सेक्शन के 93.700 कि.मी. से 283.300 कि.मी. (93.700 कि.मी. डिज़ाइन चेनेज से 280.940 कि.मी. डिज़ाइन चेनेज) तक उक्त खण्ड के चार लेन का प्रचालन और अनुरक्षण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, चरण-IV के अधीन उक्त खण्ड का प्रचालन और अनुरक्षण और डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफ़ओटी) टोल आधार पर विकास करने हेतु 30/03/2012 को प्रस्तुत बोली के लिए सफ़ल बोलीदाता मैसर्स आईआरबी बेस्टकोस्ट टोलवे प्रा.लि., जिसका पंजीकृत कार्यालय आईआरबी, कॉम्प्लेक्स, चांदीवली फ़ार्म, चांदीवली गांव, अंधेरी (पू.), मुंबई-400072, महाराष्ट्र, भारत में है, (जिसे इसमें इसके

पश्चात 'रियायतग्राही' संदर्भित किया गया है), के साथ 25/03/2013 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त करार' संदर्भित किया गया है) :

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'नियम' संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन में निहित व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रतयागम, यातायात का दबाव तथा प्राधिकरण एवं रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए एतदद्वारा यह अधिसूचित करती है कि उक्त खण्ड के लिए सड़क खण्ड की निवल लंबाई 185.554 कि.मी. (पुलों/संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर) के उपयोग हेतु नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर चार और अधिक लेन खण्डों (जिसे इसमें इसके पश्चात 'आधार दर' संदर्भित किया गया है) के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों से शुल्क उदग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और 50 करोड़ या अधिक रु. लागत के पुलों/संरचनाओं जिनकी कुल निवल लंबाई 1.686 कि.मी. है, के लिए सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर नीचे सारणी 2 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों, और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथाविनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक उक्त शुल्क संग्रहीत और प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है :

सारणी-1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4. 20

सारणी-2

सुरंगों या स्थायी पुलों की लागत (करोड़ रु. में)	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)
10 से 15	5.00	7.50	15.00	16.50	22	30
पन्द्रह करोड़ रु. से अधिक और अतिरिक्त पांच करोड़ रु. या उसके भाग के लिए	1.00	1.50	3.00	3.30	4.50	6.00
पन्द्रह करोड़ रु.से अधिक और अतिरिक्त पांच	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50

करोड़ रु. या उसके भाग के लिए						
पन्द्रह करोड़ रु. से अधिक और अतिरिक्त पांच करोड़ रु. या उसके भाग के लिए	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3.00

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों पर शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-3		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड जिले में बेलखेड़ी गांव के निकट 131.200 किमी (विद्यमान 132.950 किमी पर) पर	54. 48	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित चार और अधिक लेन की आधार दरों का 100%
कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड जिले में होलगेड़े गांव के निकट 182.853 किमी (विद्यमान 184.770 किमी पर) पर	59. 85	
कर्नाटक राज्य के उड्डुपी जिले में शिरूर गांव के निकट 239.640 किमी (विद्यमान 243.800 किमी पर) पर	71. 224	

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुलों/संरचनाओं जिनकी लागत 50 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर उपर्युक्त सारणी 2 में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी – 4				
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चेनेज के साथ पुल/संरचना का नाम	पुल/बाईपास की लम्बाई (किमी में) और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिसपर शुल्क संदेय है
		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ रुपए में)	
132.950 किमी (विद्यमान) पर उत्तर कन्नड जिले में बेलखेड़ी गांव के निकट 131.200 किमी (डिज़ाइन) पर	काली नदी पर बड़ा पुल (102.470 किमी डिज़ाइन, 102.500 किमी विद्यमान)	0.666	86.16	ऊपर सारणी-2 में उल्लिखित चार या अधिक लेन की आधार दरों का 100%
184.770 किमी (विद्यमान) पर उत्तर कन्नड जिले में बेलखेड़ी गांव के निकट 182.853 किमी (डिज़ाइन) पर	शरावती नदी पर बड़ा पुल (194.515 किमी डिज़ाइन, 196.200 किमी विद्यमान)	1.020	57. 18	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2019-20 के लिए मासिक पास की दर 265.00/-रुपए (दो सौ पैंसठ रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं या अधिक के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना के पूरे कर लिए भाग की लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार तथा रियायतग्राही के साथ हुए करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/चरण-III/कुन-गोवा/कर्नाटक बॉर्डर/2011]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th February, 2020

S.O. 582(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1361 (E), dated 18.06.2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 93.700 to km 283.300 (Goa/Karnataka Border-Kundapur Section) of National Highway No. 17 (New NH-66) in the State of Karnataka to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 25/03/2013 (hereinafter referred to as "said agreement") with M/s IRB Westcoast Tollway Private Limited having its registered office IRB Complex,

Chandivali Farm, Chandivali Village, Andheri (E), Mumbai – 400072, Maharashtra, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 30/03/2012 for the development Goa-Karnataka Border to Kundapur Section from Km 93.700 to Km 283.300 [design chainage Km 93.700 to design chainage Km 280.940) on National Highway No. 17 (New NH-66) in the State of Karnataka (hereinafter referred to as the "said section") to four laning, operation and maintenance of the said section under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) Toll Basis and operation and maintenance of the said section.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rates specified in column (2) of Table 1 below for net road section length 185.554 km [excluding bridges/structures length] for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at the base rate specified in the Table 2 for bridges/structures costing rupees Fifty crore or more having total net length of 1.686 km on the type of vehicles specified in Table 2 below, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Table 2

Cost of permanent bridge, or tunnel (Rupees in crore)	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	Bus or Truck (Two Axles)	Three-Axle commercial vehicles	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (three to six axles)	Oversized Vehicles (seven or more axles)
10 to 15	5.00	7.50	15.00	16.50	22	30
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees fifteen crore and up to Rupees one hundred crore.	1.00	1.50	3.00	3.30	4.50	6.00
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees one hundred crore and upto Rupees two hundred crore.	0.75	1.15	2.25	2.45	3.40	4.50
For every additional Rupees five crore or part thereof, exceeding Rupees two hundred crore.	0.50	0.75	1.50	1.65	2.25	3.00

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza, at the base rate mentioned in Table 1 above, for the distance specified for such Fee Plaza(s), namely: -

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At km 131.200 (At km 132.950 Existing) near Belekeri village in Uttara Kannada district of state Karnataka	54.48	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above
At km 182.853 (At km 184.770 Existing) near Holegadde village in Uttara Kannada District of state Karnataka	59.85	
At km 239.640 (At km 243.800 Existing) near Shirur village in Udupi district of state Karnataka	71.224	

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridges/structures costing rupees Fifty crore or more of base rate specified in Table 2 above, at the following Toll Plaza(s)

Table-4

Location of Toll Plaza (Ch.)	Name of Bridges/ structures with Chainage	Length (in km) and Cost of Bridges/structures for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
		Length (in km)	Cost (Rs. in crore)	
At km 132.950 (Existing) At km 131.200 (Design) near Belekeri village in Uttara Kannada district	Major Bridge across Kali River (Design km 102.470, Existing km 102.500)	0.666	86.16	100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-2 above
At km 184.770 (Existing) At km 182.853 (Design) near Belekeri village in Uttara Kannada district	Major Bridge across Sharavathi River (Design km 194.515, Existing km 196.200)	1.020	57.18	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265.00 (Rupees Two Hundred Sixty Five only) for the year 2019-20 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said rules.

9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper in English and vernacular language through the concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/Phase-III/Kun-Goa/KNT Bdr/2011]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.02.06 23:03:03 +05'30'